13-08-2026

वादी द्वारा श्री ए.बी. त्रिवेदी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी मृत। वारसान सुशीला गुप्ता की ओर से कोइ्र उपस्थित नहीं है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वारसान की ओर से आदेश पत्रिका दिनांक 08.07.2026 व 10.08.2026 को अधिवक्ता श्री विनय चोपड़ा की उपस्थिति नियत हो गयी है। जबकि प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से आर एस यादव की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होते रहे हैं व वारसान सुशीला गुप्ता के विरूद्ध दिनांक 13.02.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है।

प्रकरण आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

इसी स्तर पर वादी द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया।

आवेदन पर तर्क श्रवण किये गये।

प्रकरण आदेश हेतु कुछ समय पश्चात पेश हो।

**श्रीमती अंकिता शाही**
**अष्टम सिविल न्यायाधीष वरिष्ठ खण्ड**
**जबलपुर (म.प्र.)**

पुनश्चः—

पक्षकार पूर्ववतं

इस आदेश द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी एवं धारा 05 म्याद अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है।

दोनों आवेदन पत्रों की विषयवस्तु से अंतर्वलित होने से दोनें आवेदन पत्रों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण के दौरान प्रतिवादी की मृत्यु हो गयी है। अतः प्रतिवादी के वारसान पत्नी सुशीला गुप्ता को प्रतिवादी के स्थान पर पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया गया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संक्षेप में यह है कि प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.12.2023 को दी गयी थी। वारसान की जानकारी वादी को उपलब्ध नहीं करायी गयी थी जिससे वादी द्वारा समय पर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उक्त विलंब सद्भाविक होकर क्षमा किए जाने का निवेदन किया गया।

वारसान के अधिवक्ता उक्त आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

आवेदन पर सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना दिनांक 11.12.2023 को अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी थी एवं प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04.01.2024 को नियत किया गया था। दिनांक 04.01.2024 को वारसान की जानकारी न होने से वादी द्वारा कार्यवाही हेतु समय की मांग की गयी थी एवं प्रकरण दिनांक 25.01.2024 को नियत किया गया। उक्त दिनांक को भी प्रतिवादी के वारसान की जानकारी न होने से प्रकरण दिनांक 15.02.2024 को नियत किया गया था। दिनांक 15.02.2024 को प्रकरण इस न्यायालय में प्रथम बार अंतरण पर प्राप्त होकर दिनांक 23.03.2024 को नियत किया गया। उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी के प्रशिक्षण पर होने से प्रकरण दिनांक 29.04.2024 को नियत किया गया था। उक्त दिनांक को वादी द्वारा आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अभिलेख अनुसार स्पष्ट है कि प्रतिवादी के वारसान की जानकारी न होने से वादी को हस्तगत आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। उक्त विलंब का कारण सद्भाविक होकर स्वीकार किए जाने योग्य है।

**उपरोक्त विवेचना अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी तथा धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।**

वादी को निर्देशित किया जाता है कि वादपत्र की दोनों प्रतियों में प्रतिवादी के समक्ष मृत अंकित कर वारसान का नाम 01–अ, के रूप में समाविष्ट कर न्यायालय से प्रमाणित कराएं।

प्रकरण वादी द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण अग्रिम काग्रवाही हेतु दिनांक 22.09.2026 को पेश हो।

ANKITA SHAHI

Digitally signed by ANKITA SHAHI
Date: 2026.08.13 17:11:45 +0530

**श्रीमती अंकिता शाही**
**अष्टम सिविल न्यायाधीष वरिष्ठ खण्ड**
**जबलपुर (म.प्र.)**